न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)—जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 28/2024
3. उनवान : सुखी देवी पत्नी छीतर जाति जाट निवासी बघाल तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. अमरचंद पुत्र श्यामा
3. परमाराम पुत्र श्यामा
4. मुखराम पुत्र रतनाराम
5. बीरबल पुत्र रूघनाथ
6. महेन्द्र पुत्र रूघनाथ
7. रामचन्द्र पुत्र रूघनाथ
8. सवाई सिंह पुत्र रूघनाथ

—रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 17/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री आर.के. शर्मा अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री राहुल कुमावत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा. 8 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया व उसके अन्य सहखातेदार की आराजी भूमि खसरा नम्बर 295/1 रकबा 2.1370 हैक्टेयर वाके ग्राम बधाल तहसील कि. रेनवाल जयपुर में स्थित है। परन्तु रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा बिना किसी प्रकार अपीलान्ट को सूचना दिये ही दिनांक 29—07—2024 को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4477 दिनांक 29—07—2024 तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट को सुनवाई बिना समुचित अवसर एवं बिना नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन नामान्तकरण वास्ते मार्ग, एवं पगडडिया दर्ज कर अलग से खसरा नम्बर 1992/295 गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो वर्तमान में है, ना ही पूर्व से रहा है। बिना किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट प्राप्त किये एव बिना अपीलान्ट की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण केवल मात्र एक फिसिकल प्रोसेडिंग है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नही किया सकता है। नामान्तकरण एक वित्तिय कार्यवाही जिसके आधार पर केवल मात्र भूमि का लगान निर्धारण कर अदा करने की कार्यवाही की जाती है तथा राजस्व रिकॉड में दर्ज इन्द्राजात अन्तिम सत्य नही होते है, उनको रिबट किये जाने का कानूनी प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 292 रकबा 2.5290 हैक्टेयर में आने जाने में अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 296, 297, 1570/291, 291/1 में से चालू है। इससे भी साफ दर्शित है जब खसरा नम्बर 295 में से रास्ते की आवश्यकता ही नही थी, ना ही

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

मौके पर रास्ता चालू था। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा अपनी रिपोर्ट के विरूद्ध जाकर अपीलधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है।

अन्त में अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 4477 दिनांक 29–07–2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रिकॅर्ड पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु तहसीलदार कि० रेनवाल को निर्देशित फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील के संलग्न अपीलांट ने स्थगन प्रा0 पत्र, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 4477 दिनांक 23.07.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 8 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल कुमावत उपस्थित हुए।

अपील के सन्दर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 5218 दिनांक 30/10/2024 द्वारा जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के वाद संख्या 30/20 पुराना, 245/23 नया के निर्णय दिनांक 03.07.2024 की पालना में ग्राम बधाल के नामान्तकरण संख्या 4477 दिनांक 29.07.2024 स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है, जिसके संदर्भ में संबंधित पक्षों की सुनवाई करना एवं उनको नोटिस जारी करने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। नवीन रास्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के वाद संख्या 30/20 पुराना, 245/23 नया के निर्णय दिनांक 03.07.2024 की पालना में दर्ज किया गया है। जिसके संबंध में पृथक से मौका रिपोर्ट व अपीलान्टी की उपस्थिति आदि की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित है कि अपीलाधीन नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई बिना समुचित अवसर एवं बिना नोटिस दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण वास्ते मार्ग एवं पगडंडिया दर्ज कर अलग से खसरा नम्बर 1992/295 गैं०मु० रास्ता दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो वर्तमान में है, ना ही पूर्व से रहा है। बिना किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट प्राप्त किये एवं बिना अपीलान्ट की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। विवादित आराजीयात में अपीलान्ट के हक अधिकार निहित थे। नामान्तकरण केवल मात्र एक फिसिकल प्रोसेडिंग है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण नही किया सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 292 रकबा 2.5290 हैक्टेयर में आने जाने में अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 296, 297, 1570/291, 291/1 में से चालू है। मौका रिपोर्ट दिनांक 10/8/2020 पर अपीलान्ट ने आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका अधिनस्थ न्यायालय ने निस्तारण नही किया। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 295/1 पर आने–जाने का मौके पर चालू रास्ता है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण पूर्व से पश्चिम की ओर पडौसी खातेदार जो प्रार्थी के भाईबंध मालीराम पुत्र मुकुन्दा खसरा नम्बर 291/1 व कानाराम पुत्र मुकुन्दा खसरा नम्बर 1570/291 में से मौके पर चालू रास्ता हैं, जो बधाल जाने वाले रास्ते से जुडा हुआ है एवं प्रार्थीगण मालीराम कानाराम पुत्रान मुकुन्दा की भूमि से आवागमन कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण के आवागमन के लिये मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसकी दूरी लगभग 100 मीटर हैं, जो सबसे नजदीकी रास्ता हैं। प्रार्थी के मकान व खातेदारी भूमि के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 285 के पश्चिम दिशा में ग्रेवल रोड ग्राम बधाल से कांकड गदडी को जाने वाला चालू नक्शे का रास्ता उपलब्ध है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(पूर्व) जयपुर

जिसके खसरा नम्बर 90/2 जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है जो दूसरा सबसे कम दूरी का रास्ता है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 292 के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नम्बर 1570/294 के उत्तर दिशा में नक्शे का चालू रास्ता है जिनके खसरा नम्बर 1571/291 है जो बधाल जाने वाले चालू रास्ते से जुडा हुआ है तथा प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 294/1 के उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम सबसे कम दूरी का रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हैं। जिसके पूर्व में चालू रास्ता 1571/291 है। उक्त से प्रार्थीगण कम दूरी का रास्ता अपने आवागमन के लिये प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 292 के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 293/1 के दक्षिण दिशा में नक्शे का चालू रास्ता ग्राम बधाल से कांकडी गदडी का रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी खसरा नम्बर 293/1 की पश्चिम दिशा से उत्तर से दक्षिण दिशा से नक्शे में दर्शित कम दूरी का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, जो ग्राम बधाल से गदडी के ओर जाने वाले मौके पर चालू नक्शे पर जुडा हुआ हैं। नया रास्ता प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 295/1 में से चाहे गये रास्ते से न्यूनतम दूरी का रास्ता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 4477 दिनांक 29–07–2024 को निरस्त फरमाया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड पूर्व स्थिति बहाल किये जाने हेतु तहसीलदार कि० रेनवाल को निर्देशित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 8 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन नामान्तकरण नामान्तकरण संख्या 4477 दिनाक 29–07–2024 तस्दीक किया गया है चूंकि अपीलार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 2/9/2020 को उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं दिनाक 23/02/2023 को तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर अपना जवाब मय आपत्तियां पेश किया गया। जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3/7/2024 विधिवत रूप से किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के आधार में मद नं0 1 में दिनांक 29–9–2024 को अधिवक्ता अपीलीय नामान्तरण को तस्दीक होना बताया गया है जबकि अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 6/8/2024 को अपील पेश की गई है। इस कारण किसी भी भविष्य में की गई कल्पना के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 में किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। अपील में आदेशिका मय दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है, ना ही प्राधिकृत कोई अधिवक्ता, चूंकि सी.पी.सी 1908 के आदेश 3 नियम–4 के अनुरूप कोई प्राधिकृत अधिवक्ता नही क्योकी अपील के समय जो वकालतनामा पेश किया गया था वह न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के नाम से संबोधित किया गया है और माननीय सक्षम न्यायालय का नाम अति जिला कलेक्टर तृतीय है और चूंकि वकालतनामे पर ना ही किसी अधिवक्ता का नाम है, ना ही किसी के हस्ताक्षर है जिसको उक्त वर्णित वकालतनामे को स्वीकार करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जिससे उक्त अपील मय वकालतनामा प्रथम दृष्टा ही सी.पी.सी. 1908 के आदेश 9 नियम 5 मे खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि. रेनवाल के आदेश दिनांक 3/7/2024 की पालना मे नामान्तरण सं. 4477 दिनांक 29.07.2024 तस्दीक किया गया है। उक्त अपील तब तक पोषणीय नहीं है जब तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिपूर्ण चुनौती/अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की जाती और अपील के बाद अपीलीय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त नहीं कर देता। रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष रा.अ.नि. 1955 कि धारा, 251 (क) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थी अप्रार्थी 2 के रूप में पक्षकार है, जिसमें अपीलार्थी सुखी देवी की ओर से वकील श्री जगसिंह सेवदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

द्वारा दिनांक 02/09/2020 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था जिससे अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की पूर्ण रूप से जानकारी रही है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब कोई प्रार्थी न्यायालय से जो अनुतोष की मांग की जाती है तो अपीलार्थी को स्वच्छ हाथों से और सदभावना पूर्वक न्यायालय के समक्ष नही आता। अपीलार्थी के खसरा न. 295/1 के भूमि लगता रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 की भूमि ख. न. 295 स्थित है। जिसमे वर्तमान में आने जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 को भूमि खसरा न. 292 का उपभोग, उपभोग करने में काफी बाधा हो रही है। जिस हेतु रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी साभर लेक के समक्ष रा.अ.नि. 1955 की धारा, 251 (क) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को भूमि खसरा न. 295/1 में से 12 फिट चौडा रास्ता रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 को प्रदान किया गया, जिस हेतु रेस्पोडेन्ट 2 ता 8 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0 रेनवाल के आदेशानुसार वर्तमान डी.एल.सी की 2 गुनी राशि राजस्व में जमा कराई है। न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है, उस दिन ना अपीलार्थी उपस्थित, ना अपीलार्थी द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता जबकि सी.पी.सी 1908 के आदेश 1,2,3,4 में आज्ञापक प्रावधान है कि अपीलार्थी/सक्षम अधिवक्ता या पैरवी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ही न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत व पैरवी कर सकता है। तृतीय व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपील में चाहा गया अनुतोष अपीलांट प्राप्त करने का अधिकारी नहीं क्योंकी अधिनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है कि कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) डीएनजे (राज) पेज नो 1 (बी) हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती हैं, जिसके अनुरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में ही दबा देना चाहिये। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 4477 दिनांक 29.07.2024 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत जवाब अपील एवं संबंधित दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल के वाद सं0 30/20 (245/23) में पारित निर्णय दिनांक 03/7/2024 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी को उक्त वाद एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/07/2024 की पूर्ण जानकारी थी। चूकि अपीलाधीन न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तरण स्वीकृत करने के संदर्भ में संबधित पक्षों की सुनवाई करना एवं नोटिस जारी करने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी। अपीलान्ट यदि उक्त निर्णय दिनांक 03/07/2024 से असंतुष्ट है तो उसे सर्वप्रथम उक्त निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में दायर की जानी चाहिए थी क्योंकि जब तक न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक निर्णय की पालना में तस्दीक किया गया नामान्तरण विधि सम्मत है। न्यायालय का मत है कि न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 4477 दिनांक 29/07/2024 को स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरूप होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व)
जयपुर